

दिनांक	कार्यवाही विवरण
20/1/15	<p>पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रहीकरण कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शे में वन टू वन मैपिंग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि ग्राम <u>भाखवावा</u> खसरा नं. <u>1020, 1020</u> जमाबंदी में राहवा एक साथ जुमला दर्ज है जबकि प्लॉट पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रिकॉर्ड दुरुस्तों के लिए नक्शे में अंकन किया जाना है। उपरोक्त रिकॉर्ड जमाबंदी एवं संशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।</p>

S34

20/1/15

उप खण्ड अधिकारी  
एवं  
काराहा इंस्पेक्टर व  
काराहा तहसील, आसिया

